भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 726

जिसका उत्तर 08.02.2023 को दिया जाना है

देश में शून्य/निम्न उत्सर्जन क्षेत्रों का निर्माण

726. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराया है जिन्हें '**देश में शून्य उत्सर्जन क्षेत्र' (जेडईजेड) या 'निम्न उत्सर्जन क्षेत्र' (एलईजेड) के रूप में नामित किया जा सके और जहां केवल शून्य/निम्न उत्सर्जन वाले ई-वाहनों की ही अनुमति हो;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चूंकि पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने विशिष्ट क्षेत्रों को जेडईजेड/एलईजेड के रूप में सीमांकित किया है, क्या केंद्र सरकार जेडईजेड/एलईजेड के रूप में एक क्षेत्र को नामित करने के लिए मानदंड में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जेडईजेड/एलईजेड पर एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने की मंशा रखती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

क) और (ख) इस मंत्रालय को उन क्षेत्रों की पहचान करने को किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है जिन्हें देश में "शून्य उत्सर्जन क्षेत्र" (जेडईजेड) या "निम्न उत्सर्जन क्षेत्र" (एलईजेड) के रूप में निदिष्ट किया जा सकता है जहां केवल शून्य/ कम उत्सर्जन वाले ई-वाहन की अनुमति है।

(ग) शून्य।

*****